राजस्व आवेदन संख्या 02/2023 अनवान केवलाराम बनाम अशोककुमार	हुकम की तामील मे जारी हुए

28/04/23

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रावली कोर्ट केम्प बाडमेर आगोर पर पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 26 की संयुक्त खातेदारी का पैतृक खेत मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1893 रकबा 4.9372 हैक्टेयर भूमि आई हुए है, जिसमे प्रार्थी संख्या 01 का 127/30500 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 का 381/12200, प्रार्थी संख्या 03 का 191/6100 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 04 का 381/12200 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 26 का बाहमी रूप से बंटवाड़ा कर वादग्रस्त खेत पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 से 26, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन घुस कर तथा बिना भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये जबरन कब्जा एवं विवाद कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारु है। यदि अप्रार्थीगण उसमें सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करे कि वादग्रस्त भूमि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1893 रकबा 4.9372 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से तक मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05, 07 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया था जिसे वकील अप्रार्थीगण ने जरिये नोट प्रेस किया। अतः वकील अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.02.2023 को जारी की गई, जिसके कारण सभी काश्तकारों को

सहायक कलेक्टर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 02/2023 अनवान केवलाराम बनाम अशोककुमार

असुविधा हो रही है यदि प्रार्थीगण के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 02, 04, 05 व 07 को कोई आपति नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। केवल गलत हिस्सों के कारण राजस्व आवेदन को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वकील अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05, 07 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। वकील अप्रार्थी संख्या 02, 04 व 05, 07 का यह तर्क मानने योग्य है कि प्रार्थीगण के हिस्से से अधिक भूमि पर स्थगन आदेश प्रभाव में है। हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की पैतृक अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये जाने तक प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि तक की भूमि पर मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षों के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1893 रकबा 4.9372 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि पर मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर